2018/00168

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 29/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

श्री बीरबल पुत्र जग्गा जाति मीणा निवासी गुवाडी तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 04.10.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बागली तहसील पीपल्दा के गत खसरा नम्बर 212 हाल खसरा नम्बर 206/527,207 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक में खाता नम्बर 82 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम बागली तहसील पीपल्दा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 82 सम्वत् 2070–2073 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री नरेन्द्र गुप्ता एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा विशेष आपत्तियों में कथन है किया कि ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नं0 212 की 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि का प्रतिपक्षी बीरबल पुत्र जग्गा जी जाति मीणा निवासी ग्राम गुवाडी तहसील

पीपल्दा के पक्ष मे सही रूप से नियमानुसार आवंटन किया गया था जिसमें कोई त्रुटि नही है। उपरोक्त भूमि का प्रतिपक्षी के पक्ष मे आवंटन किये जाने के समय उपरोक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही थी । मौके पर भी उपरोक्त भूमि मे वक्त आवंटन कोई तलाई मौजूद नही थी तथा वर्तमान मे भी तलाई नही है । प्रतिपक्षी के पक्ष मे उपरोक्त भूमि का राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम 1957 के अन्तर्गत आवंटन किया गया था । उक्त नियमों एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम) 1970 के अन्तर्गत तथा कथित गैर मुमकिन तलाई के आवंटन पर कोई रोक नही है । वक्त आवंटन की भूमि की किस्म आवंटन योग्य कृषि भूमि थी । इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे भी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उपरोक्त भूमि के आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2015 को खारिज किया जा चुका है । उक्त निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना किये बिना ही प्रार्थी ने पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत किया है । इस कारण भी यह रेफ़रेन्स खारिज किये जाने योग्य है । वक्त आवंटन से ही प्रतिपक्षी उपरोक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान मे भी काबिज है । वक्त आवंटन उपरोक्त भूमि काबिल काश्त थी । प्रतिपक्षी उपरोक्त भूमि पर निरन्तर फसल कर अपनी आजीविका अर्जित कर रहा है । आवंटन निरस्तीकरण के लिये रेफ़रेन्स किये जाने का प्रावधान नही है । संबंधित नियमों मे आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफ़रेन्स मेनटेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । उपरोक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 का उल्लघंन उपरोक्त भूमि के आवंटन मे नही हुआ है । वर्तमान मे उपरोक्त भूमि मे प्रतिपक्षी ने फसल कर रक्खी है । अतः प्रतिपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत उपरोक्त रेफ़रेन्स खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा नं0 212 की 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि का प्रतिपक्षी बीरबल पुत्र जग्गा जी जाति मीणा निवासी ग्राम गुवाडी तहसील पीपल्दा के पक्ष मे सही रूप से नियमानुसार आवंटन किया गया था जिसमें कोई त्रुटि नही है। उपरोक्त भूमि का प्रतिपक्षी के पक्ष मे आवंटन किये जाने के समय उपरोक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही थी । मौके पर भी उपरोक्त भूमि मे वक्त आवंटन कोई तलाई मौजूद नही थी तथा वर्तमान मे भी तलाई नही है । प्रतिपक्षी के पक्ष मे उपरोक्त भूमि का राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम 1957 के अन्तर्गत आवंटन किया गया था । उक्त नियमों एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम) 1970 के अन्तर्गत तथा कथित गैर मुमकिन तलाई के आवंटन पर कोई रोक नही है । वक्त आवंटन की भूमि की किस्म आवंटन योग्य कृषि भूमि थी । इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे भी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा द्वारा उपरोक्त भूमि के आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.04.2015 को खारिज किया जा चुका है । उक्त निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना किये बिना ही प्रार्थी ने पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत किया है । इस कारण भी यह रेफ़रेन्स खारिज किये जाने योग्य है । वक्त आवंटन से ही प्रतिपक्षी उपरोक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान मे भी काबिज है । वक्त आवंटन उपरोक्त भूमि काबिल काश्त थी । प्रतिपक्षी उपरोक्त भूमि पर निरन्तर फसल कर अपनी आजीविका अर्जित कर रहा है । आवंटन निरस्तीकरण के लिये रेफ़रेन्स किये जाने का प्रावधान नही है । संबंधित नियमों मे आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफ़रेन्स मेनटेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । उपरोक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 का उल्लघंन उपरोक्त भूमि के आवंटन मे नही हुआ है । वर्तमान मे उपरोक्त भूमि मे प्रतिपक्षी ने फसल कर रक्खी है । अतः प्रतिपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत उपरोक्त रेफ़रेन्स खारिज करने का निवेदन किया गया । अपने पक्ष के समर्थन मे आरआरटी 2011 (1) पेज 383–384, आरआरटी 2007 (2) पेज 1433–1437, आरआरटी 2018 (1) पेज 299–306 की नजीरे प्रस्तुत की गई ।

5. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया पूर्व मे तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण सं0 41/2012 सरकार बनाम बीरबल निर्णय दिनांक 16.04.2015 के अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.04.2015 को प्रकरण मे परीक्षण उपरान्त मूल ही वापस लौटाया गया था । उक्त निर्णय की पालना तहसीलदार पीपल्दा द्वारा नही की गई है । अतः प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2015 को पारित निर्णय की पालना कर पुनः रेफरेन्स प्रकरण न्यायालय मे पेश करे ।

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा